

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग।
संचिका सं०-1/आ०वि०(विविध)-02-08/2009-

आदेश

संख्या- 71

पटना, दिनांक-15/01/2013

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2014 में निम्न प्रकार अवकाश निर्धारित किया जाता है।

1. बिहार सरकार द्वारा घोषित अवकाश का अनुपालन किया जायगा।
2. होली/ग्रीष्मावकाश/दशहरा/दिवाली/छठ आदि में निम्नप्रकार अवकाश देय होगा।

(क) होली	दिनांक-12.3.2014 से 18.3.2014 तक	सात दिन
(ख) ग्रीष्मावकाश	दिनांक-02.06.2014 से 22.6.2014 तक	एक्कीस दिन
(ग) दशहरा/दिवाली/छठ	दिनांक-29.09.2014 से 30.10.2014 तक	बत्तीस दिन
	कुल	साठ दिन

3. इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा/संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में घोषित अवकाश लागू होंगे।

4. उपरोक्त सभी अवकाश की अवधि में विद्यालय एवं हॉस्टल पूर्णतः बन्द रहेगा।

विश्वास भाजन,

निदेशक।

ज्ञापांक:-1/आ०वि०(विविध)-02-08/2009- 71

पटना, दिनांक-15/01/2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका आवासीय विद्यालय/आई०टी०मैनेजर, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।